प्रेस नोट
दिनांक 20.11.2025

ऑपरेशन साइबर कवच के दृष्टिगत थाना नवाबगंज की साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा पीडिता की फ्रॉड गयी 1,40,000/– रूपये कराए गए वापस, पैसे वापस मिलने पर पीड़िता के चेहरे पर लौटी मुस्कान, पीड़िता ने गोण्डा पुलिस को किया धन्यवादः–

जनपद गोण्डा में साइबर फ्रॉड अपराध की रोकथाम के संबंध में त्वरित कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के मार्गदर्शन में थाना नवाबगंज की साइबर हेल्प डेस्क की टीम द्वारा पीड़िता की फ्रॉड गयी धनराशि को सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए धनराशि **1,40,000/–** पीड़िता के खाते में वापस करायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

आवेदिका श्रीमती गीता देवी द्वारा थाना नवाबगंज की साइबर हेल्प डेस्क में साइबर फ्रॉड गयी उसकी 1,40,000/– रू0 की शिकायत दर्ज करायी गयी थी। जिसपर थाना नवाबगंज की साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए पीड़िता के 1,40,000/– रू0 की धनराशि वापस करायी गयी। पीड़िता द्वारा अपने रूपये वापस पाकर प्रसन्नता जाहिर करते हुए थाना नवाबगंज की साइबर हेल्पडेस्क की टीम को धन्यवाद दिया गया।

नोट– साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल 1930 पर सूचना अंकित कराये, सूचना विलम्ब से देने पर साइबर अपराधियों द्वारा धन निकाल लिया जाता है। धन निकलने के उपरान्त पैसे वापस होने की सम्भावना बहुत कम होती है। लोगो को साइबर ठगों से सावधान रहने की जरुरत है। किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओ0टी0पी0, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें। फ्रॉड ट्रांजेक्सन होने पर तत्काल अपने बैंक एवं थाना पर गठित साइबर सेल को सूचना दें एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 पर तत्काल शिकायत दर्ज कराएँ।

साइबर सुरक्षा टिप्स–

01. ऑनलाइन लेन–देन में सावधानी बरतें
02. किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओटीपी, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें।
03. सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।
04. अनजान लिंक्स पर क्लिक न करें।
05. अपने डिवाइस को सुरक्षित रखें।
06. ऑनलाइन शॉपिंग में सुरक्षित वेबसाइट्स का उपयोग करें।
07. पासवर्ड को मजबूत और गुप्त रखें।
08. ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखें।
09. साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग के मामलों में तुरंत पुलिस को सूचित करें।
10. ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों में कंपनी प्रबंधन और पुलिस को सूचित करें

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 20.11.2025

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब का निष्कर्षण/परिवहन/विक्री करने के 04 आरोपी अभियुक्तों को हुई 03–03 वर्ष का कारावास व रूपये 10,000–10,000/– के अर्थदण्ड की सजा–

घटना का संक्षिप्त विवरण–
दिनांक 09.08.2021 को अम्बरपुर मोड़ पर थाना मनकापुर व आबकारी की संयुक्त चेकिंग के दौरान सफेद स्कॉर्पियो संख्या से राकेश कुमार यादव को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से प्लास्टिक की बोरियों, ड्रम व जरीकैनों से कुल 320 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब बरामद किया गया था। जिसमें अभियुक्त इन्दल यादव, नन्दू यादव व विरेन्द्र यादव अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए थे। विवेचना के दौरान उक्त तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 23.01.2022 को माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण–
श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के आदेश के कम एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके कम में आज दिनांक 20.11.2025 को थाना मनकापुर में पंजीकृत अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब का निष्कर्षण/परिवहन/विक्री सम्बन्धी अपराध में अभियोजक श्री अमित पाठक, थाना मनकापुर के पैरोकार का0 बृजेश कुमार गुप्ता व कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 शिवपाल यादव के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय महोदय द्वारा 04 अभियुक्तगणों–01. राकेश कुमार यादव, 02. इन्दल यादव, 03. नन्दू यादव, 04. विरेन्द्र को दोषसिद्ध करते हुए 03–03 वर्ष का कारावास व रू0 10,000–10,000/– के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त का नाम पता–
01. राकेश कुमार यादव पुत्र शिवप्रसाद नि0 कनकपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
02. इन्दल यादव पुत्र त्रिभुवन नि0 धुसवा दुल्लापुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
03. नन्दू यादव पुत्र दूधनाथ नि0 दुल्लापुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
04. विरेन्द्र पुत्र कीरोधर नि0 जोगापुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण–
01. मु0अ0सं0–231/21, धारा 60 आबकारी अधि0, 272,273 भादवि थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।